CNR No. UPMH010032082026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, महराजगंज

उपस्थितः अरविन्द मलिक, एच0जे0एस0 आई0डी0यू0पी01904

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1001/2026

कमालू उर्फ कमालुददीन उम्र 22 वर्ष पुत्र सफीद निवासी मौजा बरगदही, थाना निचलौल, जनपद महराजगंज।

...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य ...अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या–187/2026
धारा–69, 352, 351(3) बी0एन0एस0
थाना–निचलौल, जनपद–महराजगंज।

24–07–2026 **निस्तारण प्रार्थनापत्र 3क**

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त कमालू उर्फ कमालुददीन की ओर से अपराध संख्या–187/2026 धारा–69, 352, 351(3) बी0एन0एस0 थाना–निचलौल, जनपद–महराजगंज में अग्रिम जमानत हेतु संस्थित किया गया है।

2– आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि उसका इस न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है और उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो दाखिल है, न लम्बित है और न ही खारिज हुआ है।

3– अभियोजन केस संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी दिलीप चौहान ने दिनांक 10–07–2026 को थाना निचलौल, जिला महराजगंज में इस आशय का तहरीर दिया कि उसकी पुत्री/पीड़िता उम्र करीब 19 वर्ष उसके ही गांव के कमालुद्दीन से बातचीत करती थी। इसी बीच कमालू द्वारा दिनांक 10–05–2026 को समय करीब सायं 07:00 बजे उसकी पुत्ररी/पीड़िता के साथ गांव के ही खलिहान में शादी का झांसा

देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया और जब उसकी पुत्री ने उससे शादी करने हेतु कहा तो कमालू उसकी पुत्री को गन्दी–गन्दी गाली व जान से मारने की धमकी देने लगा। उसे बाद उसकी पुत्री ने घर पर आकर सारी घटना बतायी, अनुरोध किया कि आवश्यक कार्यवाही किया जाये। वादी की सूचना पर थाना निचलौल, जनपद महराजगंज में अपराध सं0–187/2026 धारा–69, 352, 351(3) बी0एन0एस0 अभियुक्त कमालू के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया तथा अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा उसे फर्जी तौर पर अभियुक्त बना दिया गया है। वादी मुकदमा की पत्नी बसन्ती देवी इस घटना के पूर्व दिनांक 22–04–2026 को मु0अ0सं0–107/2026 धारा 87 बी0एन0एस0 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जिसमें आवेदक दिनांक 30–04–2026 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल गया तथा दिनांक 05–05–2026 को न्यायालय द्वारा उसकी जमानत स्वीकृत हुयी और दिनांक 08–05–2026 को वह जमानत पर रिहा हुआ। उसके दो दिन बाद मनगढ़न्त कहानी बनाकर दिनांक 10–05–2026 को पुनः घटना दिखाकर वादी मुकदमा द्वद्वारा उसे अभियुक्त बना दिया गया है। पीड़िता का बयान धारा 183 बी0एन0एस0एस0 के तहत पूर्व मुकदमें में दिनांक 30–04–2026 को हुआ। उसी दिन उसकी सुपुर्दगी उसके मामा नरसिंह चौहान निवासी महराजगंज को दिया गया तथा पीड़िता अपने मामा के घर साकिन मौजा बजहा उर्फ अहिरौली थाना निचलौल जनपद महराजगंज चली गयी। जो वादी मुकदमा के घर से 15 किलोमीटर दूर है। घटना के दिन पीड़िता अपने गांव साकिन बरगदही में मौजूद ही नहीं थी जिससे उसके साथ मैथुन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वादी मुकदमा द्वारा घटना की तिथि 10–05–2026 बतायी गयी है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10–07–2026 को घटना के दो माह बाद काफी विलम्ब से रिपोर्ट दर्ज कराया गया है जिसका कोई कारण नहीं दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि कथित घटना बनावटी एवं फर्जी है और महज धन की लालच में आवेदक को इस मामले में फंसाया गया है। थाना स्थानीय की पुलिस आवेदक की गिरतारी हेतु बार–बार दबिश दे रही है। आवेदक पूर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0–107/2026 में जमानत पर है जिसमें विवेचना के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट आ चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अनुरोध किया कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

6– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये यह तथ्य रखा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा

देकर गांव के खलिहान में उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया और अन्ततः शादी करने से मना कर दिया। पीड़िता ने विवेचक को दिये गये बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अनुरोध किया कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

7– उभय पक्षों के तर्को को सुननें एवं केस डायरी के अवलोकन के उपरान्त स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी/पीड़िता को शादी का झांसा देकर गांव के खलिहान में उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने और अन्ततः शादी करने से मना कर दिया जाना बताया गया है।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस मामले में आवेदक/अभियुक्त द्वारा दिनांक 10–05–2026 को सायं 7:00 बजे पीड़िता को शादी का झांसा देकर भगाये जाने का कथन किया गया है जिसकी रिपोर्ट घटना के करीब दो माह बाद दिनांक 10–07–2026 को थाना निचलौल में दर्ज कराया जाना बताया गया है और इस विलम्ब का कोई समुचित स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त जमानत प्रार्थनापत्र के पैरा–2 में यह कथन किया गया है कि वादी मुकदमा की पत्नी बसन्ती देवी तथा इस कथित घटना के पूर्व दिनांक 22–04–2026 को मुकदमा अ0 सं0–107/2026 धारा 87 बी0एन0एस0 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जिसमें आवेदक दिनांक 30–04–2026 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल गया तथा उसकी जमानत दिनांक 05–05–2026 को स्वीकृत की गयी और दिनांक 08–05–2026 को वह जिला कारागार से रिहा हुआ। उसे दो दिन बाद मनगढ़न्त कहानी बना कर दिनांक 10–05–2026 को पुनः घटना दिखाकर वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त बना दिया गया जिसका कोई खण्डन अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है।

प्रस्तुत मामले में पीड़िता ने अपने बयान धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि ''मेरी जन्मतिथि 12–07–2006 है। मैं B.A. 2nd Year में पढ़ रही हूं। मैं 19 वर्ष की हूं। मेरे गांव का लड़का कमालुद्दीन 4 साल से मेरा पीछा करता था। कमालुद्दीन मुझसे फोन पर बात करता था और मुझसे शादी करने के लिये बोलता था। मैंने कमालुद्दीन के साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया। दिनांक 20–04–2026 को कलामुद्दीन मुझे लेकर बम्बई गया था।''

इस प्रकार पीड़िता के धारा 183 बी0एन0एस0एस0 बयान से स्पष्ट है कि पीड़िता 19 वर्ष की है, उसके गांव का लड़का कमालुद्दीन उससे फोन पर बात करता था और उससे शादी करने के लिये बोलता था।

पीड़िता ने कमालुद्दीन के साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया। दिनांक 20–04–2026 को कलामुद्दीन उसे लेकर बम्बई गया था। इस मामले की पीड़िता 19 वर्षीय वयस्क महिला एवं बी0ए0 द्वितीय वर्ष की छात्रा है जो अपना भला बुरा समझने में भलीभांति सक्षम है। इसके अतिरिक्त इस मामले की घटना की रिपोर्ट काफी विलम्ब से घटना के दो माह बाद दर्ज करायी गयी है। जिसका कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है।

8– प्रकरण के उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

9– आवेदक/अभियुक्त कमालू उर्फ कमालुद्दीन का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का निजी बन्धपत्र एवं समान राशि के दो जमानती संबंधित न्यायालय/थाना की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो के साथ जमानत पर अवमुक्त किया जाएः–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के गवाहान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा और न ही उनको किसी प्रकार की कोई धमकी आदि देगा।

3. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा और बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत देश छोड़कर नहीं जायेगा।

10– उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का आवेदक/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किये जाने पर उसका यह जमानत आदेश सम्बन्धित न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

दिनाँकः 24–07–2026

(अरविन्द मलिक)
आई0डी0यू0पी0 1904
सेशन न्यायाधीश,
महराजगंज।